सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 13 फाल्गुन, 1942 (श०) / 04 मार्च, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या **123**

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	..	..	..	04
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	..	48
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	..	34
(4)	कृषि विभाग	..	..	..	13
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	..	..	..	10
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	..	08
(7)	सहकारिता विभाग	..	..	..	06
				कुल योग --	123

सड़क निर्माण कराना

'क'-*955. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत हसनपुर वार्ड नम्बर 3 के नंददेव महादलित टोला में 40 घर महादलित बसे हुये हैं, जिन्हें 300 मीटर की दूरी पर स्थित मुख्य सड़क तक आने-जाने के लिये सम्पर्क पथ नहीं रहने के कारण निजी जमीन होकर आना-जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार निजी जमीन अधिग्रहण कर सम्पर्क पथ निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निधि उपलब्ध कराना

*956. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत किंग्स कैनाल, राज कैनाल और वाटसन कैनाल की खुदाई, पक्कीकरण एवं ढक्कन सहित निर्माण कराने हेतु अभीतक निधि का आवंटन विभाग द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण हल्की बारिश में भी मधुबनी शहर की स्थिति नारकीय हो जाती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक निधि उपलब्ध कराकर उक्त कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पथ एवं नाला निर्माण

*957. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी नगर परिषद् के रजिस्ट्री ऑफिस से संत मैरी स्कूल होते हुये मणीचक तालाब तक का सड़क जर्जर स्थिति में है एवं जल-जमाव की स्थिति बना रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित पथों का पी0सी0सी0 कराते हुये नाले का कबतक निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सिमेन की व्यवस्था कराना

*958. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत काराकाट विधान सभा के बिक्रमगंज में पशुपालन विभाग से पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण कराया गया है, जिसमें पशु चिकित्सक एवं कर्मचारी उपलब्ध है, परंतु पशुओं के गर्भाधान हेतु सिमेन की व्यवस्था नहीं है जिससे पशुपालकों को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सालय में सिमेन की व्यवस्था कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

परीक्षाफल प्रकाशित कराना

*959. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा ई0बी0सी0 कटैगरी के अभ्यर्थियों के सहायक प्राध्यापक-सह-जूनियर, सांईटिस्ट/जूनियर सांईटिस्ट-सह-सहायक प्राध्यापक के बैकलॉग पदों पर बहाली हेतु विज्ञापन संख्या 01/2019, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसके तहत अभ्यर्थियों से 5 अक्टूबर, 2020 से 7 अक्टूबर, 2020 के बीच साक्षात्कार भी लिया जा चुका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक परीक्षाफल प्रकाशित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानान्तरित ।

दोषी पर कार्रवाई

*960. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड कुटुम्बा के ग्राम पंचायत सूही के वार्ड नम्बर 13 में तीन वर्ष पूर्व निर्मित जलमीनार जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*961. श्रीमती विभा देवी (क्षेत्र संख्या-237 नवादा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत सद्भावना चौक, प्रजातंत्र चौक, नया व्यवहार न्यायालय, हरिश्चंद्र स्टेडियम, अस्पताल रोड आदि स्थानों पर डीलक्स शौचालय नहीं रहने से आमजन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर कबतक डीलक्स शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*962. श्री सतीश कुमार (क्षेत्र संख्या-218 मखदुमपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत दिघवारा अंचल के रामपुर आमी मौजा में एन0एच0 19 फोरलेन निर्माण हेतु चयन किये गये खाता नम्बर 170, खेसरा नम्बर 692, रकबा 3 कट्ठा 15 धूर जमीन का एक-तिहाई यथा एक कट्ठा 3 धूर जमीन का अधिग्रहण अभीतक नहीं किया गया है, परंतु भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सोनपुर आरक्षी उपाधीक्षक, सोनपुर, अंचलाधिकारी, दिघवारा एवं थाना अध्यक्ष दिघवारा किसी भी स्तर से जमीन के रैयत को सूचित किये बगैर उक्त जमीन पर लगे कुल 9 हरे आम के वृक्ष को उखाड़ कर यत्र-तत्र फेंक दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त कृत्य के लिये दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वैकल्पिक व्यवस्था कराना

*963. श्री चन्द्र शेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राशन के उठाव हेतु आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण अतिवृद्ध लोगों के अंगूली का निशान सही से स्कैन न हो पाने, आँख की पुतली का स्कैन नहीं होने तथा हाथ में कुष्ठ रोग से पीड़ितों के अंगूली का निशान स्कैन नहीं होने के कारण मधेपुरा जिला के राशन कार्डधारी अपने राशन से वंचित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार ऐसे राशन कार्डधारियों के राशन उठाव हेतु कौन-सी वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अन्तर्गत लक्षित जन-वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं के लिये वितरण के समय आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है । तद्नुसार वृद्धावस्था/निःशक्तता/कुष्ठ प्रभावित आदि कारणों से आधार सत्यापन में कठिनाई झेलने वाले उपभोक्ताओं के लिये विभागीय पत्रांक 3623, दिनांक 9 सितम्बर, 2020 तथा 4719, दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 के द्वारा किसी सरकारी/पर्यवेक्षकीय कर्मी को नॉमिनी बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसके आधार सत्यापन के आधार पर ऐसे उपभोक्ता को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त अँगूठे के निशान के स्थान पर आँखों की पुतली की छाया से बॉयोमेट्रिक सत्यापन कराया जा रहा है । सम्प्रति राज्य 8360 ऐसे लाभुक परिवारों ने अपने नॉमिनी नियुक्त किये हैं, जिनमें से माह दिसम्बर, 2020 एवं जनवरी, 2021 में 4341 की संख्या में नॉमिनी के द्वारा लाभुकों ने खाद्यान्न प्राप्त किया है । नॉमिनी बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है और ऐसे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने दी जायेगी ।

पथ का निर्माण

*964. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के डुमराँव अनुमंडल में डुमराँव प्रखण्ड के वार्ड संख्या-07 में पटेल कॉलोनी में मेन रोड से प्रीति पटेल के घर तक का रोड लगभग 900 मीटर कच्ची रहने के कारण स्थानीय निवासियों एवं दैनिक यात्रीगण को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*965. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के लौरिया स्थित तुरकाहा नाला जिससे पूरे बाजार का अपमार्जित गंदा पानी बहता है, दोनों तरफ से अतिक्रमण की वजह से नाला संकीर्ण हो गया है, जिसके कारण गंदा पानी बाजार के भीड़-भाड़ वाले इलाके में बहता रहता है, यदि हाँ, तो सरकार इन नाले की भूमि का पैमाईस कराके अतिक्रमण खत्म कराने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*966. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नं0 01, 02, 03 एवं 09 के क्षेत्रों में खासकर बरसात के दिनों में भारी जल-जमाव हो जाता है, जिसके कारण घरों का डिसचार्ज वाटर और वर्षा का पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वार्डों में जल-जमाव से निजात दिलाने के लिए भोला टॉकीज के निकट (सड़क के दूसरी ओर) बिहार व्यापार, अनसुईया ट्रेडर्स, दादर होते हुए गुरूकुल, हाईयर सेकेन्डरी स्कूल से आगे बाहा तक जाने वाली सड़क के किनारे आर0 सी0 सी0 नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण हटाना

*967. श्री शाहनवाज (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला स्थित बेंता चौक से मुहल्ला शाहगंज जाने वाली सड़क से 22 नम्बर गुमटी तक स्थानीय लोगों द्वारा सड़क एवं नाली का अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे नाले के गंदे पानी का जमाव सड़क पर होने के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मुहल्ला से कबतक अतिक्रमण हटाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव दूर करना

*968. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम शहर के वार्ड नं0-07 में जल-जमाव लगा रहता है, जिसके कारण आम जनता को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सासाराम शहर के उक्त वार्ड को जल-जमाव से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*969. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन विधान सभा क्षेत्र में 30 पंचायत हैं, जिसमें हलका कर्मचारियों का कुल स्वीकृत पद 15 है तथा वर्तमान में 06 हलका कर्मचारी कार्यरत है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत पद के अनुरूप हलका कर्मचारी पदस्थापित करने का विचार करती है, नहीं, तो क्यों ?

दर्जा देना

*970. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर शहर को 1978 ई0 में नगर पंचायत घोषित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत इस्लामपुर आबादी एवं क्षेत्रफल के अनुसार नगर परिषद् बनने की सारी अर्हता पूरी करता है, यदि हाँ, तो सरकार नगर पंचायत इस्लामपुर को कबतक नगर परिषद् का दर्जा देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का पक्कीकरण

*971. श्री विजय कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला में नगर पंचायत कोचस अंतर्गत वार्ड नं0-4 जो कि नगर का सबसे बड़ा वार्ड है, जिसमें चार मुहल्ला है तथा मुहल्ला से गंदे पानी के बहाव हेतु 40 कच्ची नाली है, जिसका पक्कीकरण नहीं होने से नालियाँ जाम रहती हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वार्ड में 40 कच्ची नाला को पक्कीकरण कर जल-जमाव से मुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बासगीत पर्चा देना

*972. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत जितवारपुर प्रखण्ड के मुसापुर, हरपुर एलोथ, चकनूर, शंभूपट्टी सहित अन्य पंचायतों में तालाब के किनारे बसे भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण सरकारी लाभ से वंचित हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर बसे भूमिहीन परिवार को जमीन उपलब्ध कराकर बासीगत पर्चा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पक्कीकरण कराना

*973. श्री महानंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला अंतर्गत अरवल नगर परिषद् क्षेत्र में एन0 एच0 110 से बिजली कार्यालय, ग्राम मखदुमपुर होते हुये खनकुलीपुर तक जानेवाली सड़क कच्ची है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*974. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड के हरिओ पंचायत के गोविन्दपुर मुसहरी और कहारपुर गाँव के महादलित परिवार का सैकड़ों घर कोसी नदी में विलीन हो जाने के कारण उक्त परिवार रोड, नाला एवं रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने को विवश हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान के भूमिहीन महादलित परिवारों के बीच बासगीत पर्चा बंटवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है । समाहर्ता भागलपुर के प्रतिवेदनानुसार वर्ष 2019 में 118 महादलित परिवार तथा वर्ष 2020 मे 140 महादलित परिवार कोसी नदी के कटाव से विस्थापित हुये हैं । उपरोक्त सभी कटाव पीड़ित महादलित परिवारों को पुनर्वासित किये जाने हेतु सरकारी भूमि चिह्नित की जा रही है । साथ ही, रैयती भूमि क्रय नीति के तहत भूमि क्रय कर उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की जा रही है ।

पर्चा दिलाना

*975. श्री विजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखंड में गंगा नदी के कटाव से पीड़ित परिवारों को बैसागोविन्दपुर, कांतनगर, लक्ष्मीपुर एवं मोहनाचांदपुर पंचायतों में बसाया गया है, परन्तु बासगीत पर्चा नहीं दिये जाने के कारण पीड़ित परिवार सरकारी सुविधा से वंचित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर बसे पीड़ित परिवारों को बासगीत पर्चा दिलाकर सरकारी सुविधा का लाभ दिलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सम्पर्क पथ बनाना

'ख'-*976. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत अंचल कोटवा के बड़हरवा कला पूर्वी पंचायत के हेमन छपरा गाँव के महादलित बस्ती में संपर्क पथ नहीं होने के कारण आवासित परिवारों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त महादलित बस्ती के लिये सम्पर्क पथ बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु अस्पताल खोलना

*977. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 8-10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल खोलने तथा पशुओं के लिये चिकित्सा सुविधा यथा टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान जैसे सेवाओं की डोर स्टेप डिलिवरी की व्यवस्था करना, कॉल सेन्टर, मोबाईल ऐप तथा टेलिमेडिसिन की सहायता से पशु चिकित्सक से परामर्श दिलाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिले के ढाका एवं घोड़ासहन प्रखंड में 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल नहीं रहने से पशुपालकों को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'ख'-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित ।

रोक लगाना

*978. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव (क्षेत्र संख्या-90 मीनापुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुशहरी प्रखंड मुख्यालय के नजदीक अवस्थित श्मशान भूमि पर पंचायत सरकार भवन सामुदायिक, भवन, वर्क शेड का निर्माण एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे आमजनता आक्रोशित है, यदि हाँ, तो सरकार श्मशान भूमि पर निर्माण हो रहे कार्य पर कबतक रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*979. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा बक्सर जिला के किसानों हेतु 90 प्रतिशत अनुदान पर 750 प्रति क्विंटल ढइंचा घास एवं 350 प्रति क्विंटल अरहर बीज उपलब्ध कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त दोनों बीजों के वितरण में तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर पर अनियमितता बरते जाने का आरोप था, जिसकी जाँच हेतु तत्कालीन उप-विकास आयुक्त, बक्सर को जाँच का जिम्मा सौंपा गया था, जो जाँच रिर्पोट आज दो वर्षों से लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच यथाशीघ्र पूरा काराकर दोषी पर कार्यवाही करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सौन्दर्यीकरण कराना

*980. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के बीचों-बीच अवस्थित तीन बड़े तालाब हराही, दिग्घी एवं गंगासागर की उड़ाहीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिये 57 करोड़ राशि का विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डी० पी० आर०) 2017 में ही बनाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक उक्त डी० पी० आर० की राशि की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण योजना अभीतक नहीं प्रारंभ हुआ है ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य ने पत्रांक 609, दिनांक 4 नवम्बर, 2019 को विभाग के प्रधान सचिव को उक्त तीनों तालाब के उड़ाहीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिये बने डी० पी० आर० की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा था ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जल-जीवन हरियाली के तहत उपर्युक्त तीनों तालाबों का उड़ाहीकरण और सौन्दर्यीकरण करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गोदाम का निर्माण

*981. श्रीमती नीतू कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला अंतर्गत हिसुआ विधान सभा क्षेत्र के हिसुआ, नरहट एवं अकबरपुर प्रखंड मुख्यालय में एस० एफ० सी० का अपना गोदाम नहीं है, जबकि भूमि उपलब्ध है, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में एस० एफ० सी० गोदाम निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक ।

उक्त प्रखंडों में भूमि उपलब्धता का सत्यापन कराया जा रहा है । भूमि उपलब्ध होने पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में गोदाम निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

क्रय सीमा बढ़ाना

*982. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020-21 में अरवल जिलान्तर्गत किसानों से धान अधिप्राप्ति की स्थिति संतोषजनक नही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि करीब 50 प्रतिशत किसानों का धान आज भी पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से क्रय नहीं किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि निर्धारित समय सीमा 21 फरवरी, 2021 तक किसानों से धान क्रय करना विभाग का लक्ष्य है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अरवल जिला में लक्ष्य पूरा करने के लिये क्रय समय सीमा बढ़ाकर धान क्रय कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*983. श्री रितलाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर प्रखंड, महुआबाग, कालीकेत नगर, वार्ड नं० 3 के जितेन्द्र सिंह के मकान से बबुआ नन्द यादव के मकान तक की सड़क कच्ची है, जिसके कारण लोगों को बरसात के दिनों में जल-जमाव हो जाने के कारण स्थानीय निवासियों एवं राहगिरों को पैदल चलने में भी काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण आगामी बरसात के पूर्व कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय निर्माण कराना

*984. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अन्तर्गत खगड़िया शहर में खगड़िया बस स्टैंड, राजेन्द्र चौक एवं जे०एन०के०टी० विद्यालय के पास शौचालय एवं मूत्रालय नहीं रहने के कारण गंदगी, बीमारी एवं महामारी फैलने की संभावन है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर शौचालयों का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सक की पदस्थापना

*985. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखण्ड मुख्यालय में स्थित पशु अस्पताल में चिकित्सक नहीं रहने के कारण पशुपालकों को पशुओं का इलाज कराने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में चिकित्सक पदस्थापित कर पशुओं का इलाज शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेवा का लाभ देना

*986. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर) --क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 6300 किसान सलाहकार पिछले 10 वर्षों से पूर्णकालिक सरकारी सेवक की तरह कार्य कर रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसान सलाहकारों से कृषि कार्य के अतिरिक्त विधि-व्यवस्था के लिये दंडाधिकारी के रूप में भी औरंगाबाद जिले में कार्य कराये गये हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि कृषि निदेशालय के द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति ने भी पत्र संख्या 167, दिनांक 30 जून, 2020 के द्वारा किसान सलाहकारों के सेवा अवधि के विस्तार एवं अन्य नियमित सरकारी सेवकों की भाँति सुविधाएं देने की अनुसंशा की है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसान सलाहकारों को अन्य नियमित एवं संविदा कर्मियों की तरह सेवा लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*987. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के प्रखंड परवलपुर के शंकरडीह पंचायत के 82.5 गैर कृषि क्षेत्र आबादी को प्रस्तावित कर मौजा शंकरडीह को नगर पंचायत बनने का प्रस्ताव दिया गया है, जबकि उसी पंचायत के मौजा धनामा को 03 कि०मी० दूरी बताकर नगर पंचायत में शामिल नहीं करने का प्रस्ताव दिया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

औचित्य बतलाना

*988. डॉ० सुनील कुमार (क्षेत्र संख्या-172 बिहारशरीफ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला में बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कारगिल चौक स्थित बस स्टैंड का निर्माण वर्ष 2017 में पूर्ण हो गया है, किन्तु अभीतक वहाँ से बसों या अन्य सवारी गाड़ी की परिचालन नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

राजस्व क्षति रोकना

*989. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर) --क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर नगर पंचायत अन्तर्गत लगने वाली विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला में विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अस्थायी प्रदर्शनी लगाया जाता है, जिसमें विभाग का लाखों रुपये व्यय होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015-16 में जिला कृषि विभाग सोनपुर की ओर से उक्त मेले में कृषि विभाग की जमीन पर स्थायी प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शनी केन्द्र बनाने के लिये प्रधान सचिव को प्रस्ताव भेजा गया था किन्तु अभीतक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मेले में कृषि विभाग की जमीन पर स्थायी प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शनी केन्द्र का निर्माण कराकर प्रतिवर्ष हो रहे राजस्व की क्षति को रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*990. श्री शाहनवाज (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट अंचल कार्यालय में अमीन के दो पद स्वीकृत है परंतु उक्त अंचल में एक भी अमीन पदस्थापित नहीं रहने के कारण लोगों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अंचल में स्वीकृत पद के अनुरूप अमीन का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैध बूचड़खाना बन्द करना

*991. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत मेहसी प्रखण्ड के मेहसी में बस स्टैंड के नजदीक अवैध बूचड़खाना संचालित होने से उत्पन्न बदबू से राहगीरों एवं आस पास के मोहल्लों के लोगों को काफी कठिनाई होती है, तो क्या सरकार उक्त बूचड़खाना को बंद कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु अस्पताल खोलना

*992. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अन्तर्गत खगड़िया प्रखंड के कासिमपुर एवं मानसी प्रखंड के चक हुसैनी में पशु अस्पताल नहीं रहने के कारण पशुपालकों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर पशु अस्पताल खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा दिलाना

*993. श्री विजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत कुरूसेला प्रखंड के जरलाही पंचायत के मोकाना टोला एवं मधेली गाँव में खाता संख्या 499, खेसरा 662, रकबा 2.82 एकड़ पर एवं मलेनिया गाँव में खाता संख्या 1427, खेसरा 5564, रकबा 2.45 पर तथा खेसरा 5571, रकबा 1.22 पर एवं खेसरा 5569 रकबा 0.49 पर गंगा नदी के कटाव से पीड़ित परिवारों को बसाया गया है, परंतु पीड़ित परिवारों को बासगीत पर्चा नहीं दिये जाने के कारण कोई भी सरकारी लाभ इन परिवारों को नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त खाता, खेसरा, रकबा पर बसे पीड़ित परिवारों को बासगीत पर्चा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर पंचायत बनाना

*994. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत कदवा प्रखंड के सोनैली बाजार की आबादी 20,000 से अधिक है तथा प्रखंड का प्रमुख व्यावसायिक स्थल है जो नगर पंचायत बनने की सारी अर्हता को पूरी करता है, यदि हाँ, तो सरकार सोनैली बाजार को कबतक नगर पंचायत बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*995. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला में भू-मापी हेतु एक ही अमीन हैं जबकि जिला में 16 प्रखंड/अंचल है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कटिहार जिला के सभी अंचलों में अमीन का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*996. श्री विजय कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के कोचस प्रखंड के कंजर पैक्स में दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास एवं पैक्स अध्यक्ष के समक्ष आठ सदस्यों ने इस्तीफा दिया था जिसकी पुष्टि प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, कोचस ने वीडियोग्राफी के माध्यम से की है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पत्रांक 886, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 जे० आर० के द्वारा 6 माह बाद यह कहते हुये पैक्स को बहाल किया गया कि सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सदस्यों का पक्ष नहीं सुना गया जबकि उक्त पैक्स के दो सदस्यों ने इस्तीफा वापस ले लिया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अस्पताल भवन का निर्माण

*997. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दुल्हिन बाजार प्रखंड स्थित राजीपुर पंचायत में स्थित पशु अस्पताल का भवन जर्जर अवस्था में है तथा चिकित्सीय कार्य बंद है, जिसके कारण आस-पास के कई गाँव के पशुपालकों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल के भवन का निर्माण कराकर चिकित्सीय कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*998. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत मरौना अंचल स्थित ग्राम पंचायत परिकौछ के ग्राम-बसखोड़ा में खाता संख्या 171, खेसरा संख्या 224 एवं 225 श्री सुखी लाल सुधांशु, श्री बालेश्वर यादव एवं अन्य रैयती भू-स्वामियों का 1 बीघा 18 कट्ठा 13 धूर भूमि को 15 वर्ष पूर्व तात्कालिक अंचलाधिकारी द्वारा गलत तरीके से श्री जीतन राम, श्री राम प्रसाद राम एवं अन्य व्यक्तियों के नाम से बासगीत पर्चा निर्गत कर दिया गया है जबकि भू-स्वामियों द्वारा आजतक राज्य सरकार को भूमि राजस्व कर का भुगतान किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपरोक्त में वर्णित खाता एवं खेसरा का गलत तरीके से निर्गत किये गये बासगीत पर्चा को रद्द करते हुये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह का निर्माण

*999. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-04 बगहा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला के बगहा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत एक भी विद्युत् ताप शवदाह गृह नहीं है, जिसके कारण लोगों को शवदाह में काफी कठिनाई होती है एवं प्रदूषण अत्यधिक होती है, यदि हाँ, तो सरकार बगहा अनुमंडल में एक विद्युत् ताप शवदाह गृह का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*1000. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर नगर परिषद् क्षेत्र के साफ-सफाई व्यवस्था आउटसोर्सिंग से कराने का कारण प्रत्येक माह बड़ी राशि व्यय हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एक निजी एजेन्सी के सर्वे में बक्सर नगर परिषद् क्षेत्र को पूरे हिन्दुस्तान में गंदे शहरों में द्वितीय स्थान प्राप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बक्सर नगर परिषद् में साफ-सफाई कार्य को जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना पूर्ण कराना

*1001. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर शहर को केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में ही स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया था, परंतु इस संबंध में अभीतक एक भी योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्धारित योजनाओं को भागलपुर शहर में कबतक पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों

मुआवजा देना

*1002. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत मोहड़ा प्रखंड के ग्राम-तेतर में गंगाजल उद्वह योजना निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव के लोगों को जमीन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गाँव के लोगों को जमीन का मुआवजा दिलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पक्कीकरण कराना

*1003. श्री महानंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिलान्तर्गत अरवल नगर परिषद् क्षेत्र में बस स्टैंड से जनकपुर धाम मुहल्ला पीरबाबा का मजार, एस०पी० आवास होते हुये बैदराबाद तक जाने वाली सड़क जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का कबतक पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*1004. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के प्रखण्ड नुआँव के करमहरी एवं बासनपुर ग्राम में नल-जल योजना अन्तर्गत पीने के पानी का पम्प हाउस का निर्माण किया गया था, परंतु संवेदक द्वारा बिजली बिल जमा नहीं किये जाने के कारण पम्प हाउस 1 दिसम्बर, 2020 से बंद है, जिससे गाँवों में पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पम्प हाउस का बिजली बिल जमा करने का स्थाई समाधान कर पानी सप्लाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मूल्य नियंत्रण करना

*1005. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोध गया)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 जनवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "खाद की कमी नहीं फिर भी ऊँचे दाम पर हो रही यूरिया की बिक्री" के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला में फतेहपुर, टनकुप्पा, शेरघाटी सहित अन्य प्रखंडों में यूरिया खाद 266 रुपये एवं डी०ए०पी० खाद का 1250 रुपये सरकारी मूल्य है जबकि दुकानदार किसान को यूरिया खाद एवं डी०ए०पी० खाद की खरीदारी पर 100 से 150 रुपये अधिक मूल्य पर किसानों को दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये उक्त जिला में ऊँचे दाम पर हो रही खाद की बिक्री को रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गोदामों का पुनर्निर्माण

*1006. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला अन्तर्गत हरेक पैक्स में पैक्स गोदाम की व्यवस्था की गयी थी, परन्तु प्राकृतिक आपदा के कारण पैक्स गोदाम पूर्णत: बर्बाद हो चुका है, जिससे हरेक पैक्स के अध्यक्षों को किसानों से धान/गेहूँ के अधिप्राप्ति करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सभी गोदामों को पुन: बनवाने का विचार करती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिले में कुल 187 पैक्स, 14 व्यापार मंडल निबंधित हैं। जिसमें से 118 पैक्स एवं 6 व्यापार मंडलों में 31100 मे०टन क्षमता का गोदाम निर्माण का कार्य पूरा करा लिया गया है । 7 पैक्सों में 1400 मे०टन क्षमता का गोदाम निर्माणाधीन है।

नवादा जिले में 6 पैक्सों यथा राजन पैक्स, उपरडीह पैक्स, प्रखंड सिरदला, पेश पैक्स, प्रखंड नारदीगंज, पुन्थर पैक्स, प्रखंड नरहट एवं कोनन्दपुर पैक्स, प्रखंड पकरीबरावाँ में निर्मित 600 मे०टन क्षमता का गोदाम प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त होने की सूचना के आलोक में उनके द्वारा गोदाम की आवश्यकता को देखते हुये अध्यक्षों को निदेशित करते हुये इसकी मरम्मती करा ली गयी है।

उपरोक्त कंडिका से वस्तुस्थिति स्वत: स्पष्ट है तथा कृषकों से धान/गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु वर्तमान में भंडारण की समस्या नहीं है। साथ ही जिन पैक्सों में सरकारी गोदाम नहीं है, वहाँ के अध्यक्ष निजी गोदामों से एकरारनामा कर अधिप्राप्ति कार्य सुचारू रूप से कर रहें है ।

टाउन हॉल का जीर्णोद्धार

*1007. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के शेरघाटी प्रखंड अन्तर्गत नगर पंचायत स्थित टाउन हॉल जर्जर स्थिति में है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक टाउन हॉल का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रैक प्वाइन्ट बनाना

*1008. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर रैक प्वाइंट से किया जा रहा हैं, जिस कारण कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर से मधुबनी तक प्रति बोरा किराये का भुगतान थोक बिक्रेताओं को अधिक करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अतिरिक्त किराया के कारण किसानों को उचित मूल्य पर रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक रासायनिक उर्वरक का रैक प्वाइन्ट मधुबनी जिला के अन्तर्गत जयनगर से करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1009. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत बघार पंचायत के बघार गाँव की ऐसु, पति स्व० शेख नूर मुहम्मद, जगवंती देवी पति स्व० गणेश यादव एवं मिर्जापुर गाँव की पुष्पा देवी, पति श्री विनोद यादव इत्यादि करीब 27 व्यक्तियों से एम/एस कांटाकोश इण्डेन ग्रामीण वितरक, गोवागाछी, मनिहारी, कटिहार ने 750 से 1300 रुपया लेकर उज्जवला योजनान्तर्गत गैस कनेक्शन दिया है, जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, मनिहारी से सितंबर, 2020 मे की गयी है, परंतु अबतक जाँच एवं कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार इस विषय की जाँच एवं कार्रवाई कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ऐसु (ऐसुल) पति स्व० शेख नूर मुहम्मद, पुष्पा देवी, पति-विनोद यादव एवं 13 अन्य लाभुकों के लिखित ब्यान के अनुसार गैस कनेक्शन लेने में आवेदकों से कोई भी राशि नहीं ली गयी है। आवेदकों द्वारा इस आशय का कोई भी आवेदन-पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी को समर्पित नहीं किया गया है ।

औचित्य बतलाना

*1010. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के पीरपैंती और कहलगाँव प्रखंड में बहुत बड़े पैमाने पर पशुपालन का कार्य होता है, परन्तु पशुपालकों द्वारा उत्पादित दूध के लिये केवल एक ही विक्रमशीला दुग्ध उत्पादक केन्द्र स्थापित है तथा विक्रमशीला केन्द्र द्वारा पशुपालकों को दुग्ध का मूल्य विलम्ब से एवं बाजार मूल्य से कम पर दिया जाता है जिससे दुग्ध विक्रेता (पशुपालकों) को नुकसान उठाना पड़ता है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

चापाकल लगाना

*1011. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक 06/प्रा0आ0-109/2015 (खंड 3) 454, दिनांक 6 मार्च, 2018 द्वारा वैशाली जिला के लालगंज प्रखंड में तीन, जंदाहा प्रखंड में एक, महुआ प्रखंड में एक एवं राघोपुर प्रखंड में तीन चापाकल गाड़ने का आदेश कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर को दिया गया था, परन्तु अभीतक उक्त वर्णित प्रखंडों में एक भी चापाकल नहीं गाड़ा गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित प्रखंड में चापाकल गाड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि माननीय विधायक से प्राकृतिक आपदा/आकस्मिक घटना एवं विशेष परिस्थिति में 2015 में स्वीकृत चापाकल निर्माण हेतु योजनान्तर्गत चापाकल निर्माण हेतु 8 फरवरी, 2018 को प्राप्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक 06/प्रा0आ0-109/2015 (खंड 3) 454, दिनांक 6 मार्च, 2018 द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर को नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था ।

अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य योजनान्तर्गत बिहार में प्राकृतिक आपदा आकस्मिक घटना, विशेष परिस्थिति में वित्तीय एवं कमजोर वर्ग के परिवारों में स्वीकृत्यादेश संख्या 6/रा0यो0-105/2014-291, दिनांक 24 जनवरी, 2015 के विरुद्ध वैशाली जिला हेतु संसूचित 112 अदद् चापाकलों के विरुद्ध 112 अदद् चापाकलों का निर्माण क्षेत्रीय आवश्यकता एवं प्राथमिकता के अनुरूप करा दिया गया है । इन वर्णित आठ स्थलों की स्थल सूची पत्र प्राप्त होने से पहले ही उक्त स्वीकृत्यादेश से प्राप्त लक्ष्य का कार्य पूरा करा लिया गया था । अत: वर्णित आठ स्थलों पर निर्माण नहीं कराया गया है ।

उक्त 112 अदद् के तहत लालगंज, महुआ, जंदाहा एवं राघोपुर में क्रमश: 02, 07, 12 एवं 01 अदद् चापाकलों का निर्माण किया गया है ।

वर्तमान में अनुशंसित आठ स्थलों पर विभागीय मापदंडों के अनुरूप पेयजल की कोई समस्या नहीं है ।

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1012. श्री सुधांशु शेखर (क्षेत्र संख्या-31 हरलाखी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरारू प्रखंड गुड़रू पंचायत के बगडीहा गाँव में बबुरी आहर, बड़का आहर एवं कसैईया आहर को अतिक्रमणकारियों द्वारा पूरी तरह से अतिक्रमण कर लगभग पिछले 20 वर्षों से मकान एवं दुकान बना लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सभी आहरों से बगडीहा समेत कई गाँव की खेती का पटवन किया जाता था, अतिक्रमण हो जाने के कारण पटवन कार्य बंद है ;

(3) क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों द्वारा कई बार इसकी शिकायत लिखित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी, गुरारू, अंचलाधिकारी एवं एस0डी0ओ0 टिकारी से की गई है, परंतु आजतक उक्त आहर का अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आहरों को शीघ्र अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड उपलब्ध कराना

*1013. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत दरियापुर प्रखंड के अन्तर्गत सभी

पंचायतों में पात्रता रखने वाले 40 प्रतिशत परिवारों को राशन कार्ड के अभाव में विगत पाँच वर्षों से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि इसके लिये अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के कार्यालय में उक्त के वंचित लोगों ने शपथ-पत्र के साथ आवेदन भी दिया है, यदि हाँ, तो सरकार उन छूटे हुये उपभोक्ताओं को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक 250, दिनांक 17 फरवरी, 2021 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है । सोनपुर अनुमंडल के दरियापुर प्रखंड के सभी पंचायतों में अबतक अनुमंडल कार्यालय, सोनपुर में कुल 15947 (पन्द्रह हजार नौ सौ सैतालिस) आवेदन-पत्र जाँचोपरान्त प्राप्त हुआ था जिसमें से पात्रता रखने वाले कुल 6256 (छः हजार दो सौ छप्पन) आवेदन को स्वीकृत करते हुये नया राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है तथा उक्त कार्डधारी को खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है । शेष आवेदनों के अपात्र पाये जाने के कारण अस्वीकृत किया गया । वर्तमान में दरियापुर प्रखंड कार्यालय में प्राप्त लगभग 975 (नौ सौ पचहत्तर) आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । कोई भी पात्र लाभुक जिसे राशन कार्ड नहीं है वे प्रखंड में अवस्थित आर0टी0पी0एस0 काउन्टर के माध्यम से नया राशन कार्ड बनाने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दे सकते है । जाँचोपरान्त पात्र लाभुक को नया राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाता है । दरियापुर प्रखंड अन्तर्गत 33019 पी0एच0एच0 एवं 7581 अन्त्योदय कार्ड निर्गत है ।

औचित्य बतलाना

*1014. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अगिआँव, गड़हनी व चरपोखरी प्रखंड में स्थित पशु चिकित्सालय पर चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी नहीं रहने के कारण पशुओं का इलाज बंद है, यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है ?

जलापूर्ति करना

'ग'-*1015. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक घर में हर घर नल से जल योजना शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने का सरकार लक्ष्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला अन्तर्गत जमालपुर नगरपालिका क्षेत्र के 25 प्रतिशत बसावटों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नल से जल का कनेक्शन नहीं हो पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त नगरपालिका क्षेत्र के सभी घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*1016. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में राशन कार्ड बनवाने हेतु RTPS के माध्यम से आवेदन करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के ढ़ाका, घोड़ासहन एवं चिरैया प्रखंड के सैकड़ों मामले ऐसे है जिसमें राशन कार्ड आवेदनकर्ता के RTPS नम्बर पर दूसरे आवेदक को गलत ढंग से राशन कार्ड निर्गत कर दिया गया है, उदाहरणार्थ आवेदक रामबदन देवी, ग्राम-समनपुर (घोड़ासहन) RTPS नम्बर 070511022081806199 पर ही जरीना खातुन, ग्राम-बसतपुर (घोड़ासहन) को राशन कार्ड निर्गत किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में मामले की जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई के साथ गलत ढंग से बनाये गये राशन कार्डों को रद्द करने एवं गड़बड़ी को रोकने की दिशा में कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'ग'-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित ।

नाला निर्माण कराना

*1017. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला स्थित मुहल्ला शाहगंज में मस्जिद में जाने वाला सड़क संकीर्ण है एवं नाला नहीं रहने के कारण रास्ते पर गंदे पानी का जमाव रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण कराते हुये नाले का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सम्पर्क पथ बनाना

'घ'-*1018. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण अंतर्गत अंचल कल्याणपुर में नन्हकार पुरबारी मुशहरी टोला (महादलित बस्ती) में संपर्क पथ के अभाव में आवासित महादलित परिवारों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बस्ती में आवागमन बहाल करने हेतु भूमि क्रय कर संपर्क पथ बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*1019. डॉ0 सुनील कुमार (क्षेत्र संख्या-172 बिहार शरीफ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला में बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत टेलिफोन एक्सचेंज से लहेरी मुहल्ला तक तथा खंदक मोड़ से सामुगंज मोड़ होते मणी बाबा अखाड़ा मोड़ तक सड़क जर्जर है, जिससे आमजनों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समायोजन करना

*1020. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलांतर्गत बिहपुर प्रखण्ड के हरिओ पंचायत के शशिकान्त सिंह पिता-स्व0 बलदेव सिंह एवं भवानीपुर, धरमपुर रत्ती, मड़वा पूरब पश्चिम् आदि पंचायतों के प्रभावित लोग वर्ष 2019 तक उजरत भोगी अमीन के पद पर काम करते थे, जिन्हें वर्ष 2019 तक खगड़िया बंदोबस्त में कार्य कराने के बाद हटा दिया गया, जबकि कार्य का अनुभव होने के बाद भी उन्हें विशेष सर्वेक्षण अमीन का पद सृजन कर नई बहाली की गई है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है तथा सरकार विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर समायोजन करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'घ'- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानान्तरित ।

दोषी पर कार्रवाई

*1021. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जलापूर्ति परियोजना फेज-1, जिसकी प्राक्कलित राशि 318 करोड़ रुपये थी, के अंतर्गत भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के 51 वार्डों में 460 किलोमीटर नया पाइप लाइन बिछाना, 19 नये जलमीनारों का निर्माण तथा 68, 182 घरों में हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य जून 2019 तक पूरा किया जाना था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में कुल 180 किलोमीटर नया पाइप लाइन बिछाया गया है, 5 जलमीनारों का स्ट्रक्चर वर्क पूरा हुआ है तथा मात्र 11,515 घरों में हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य पूरा हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार भागलपुर जलापूर्ति परियोजना फेज-1 के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने तथा धीमी प्रगति के लिए दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में कुल 175.17 Km नया पाइप लाइन बिछाया गया है, 09 जलमीनारों का स्ट्रक्चर वर्क आंशिक रूप से पूरा हुआ है तथा 7367 घरों में हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य पूरा हुआ है ।

(3) भागलपुर जलापूर्ति परियोजना फेज-1 के अधूरे कार्यों के पूर्ण कराने के लिए संवेदक का चयन दिनांक 19 सितम्बर, 2020 को कर लिया गया है एवं कार्य प्रगति पर है।

वस्तुस्थिति यह है कि उक्त परियोजना के कार्यों में धीमी प्रगति के लिए तत्कालीन संवेदक मे0 पैन इंडिया का एकरारनामा दिनांक 9 जुलाई, 2019 को विखंडित कर बैंक गारंटी जब्त करते हुए उक्त संवेदक (मे0 पैन इंडिया) को अगले 05 सालों के लिए काली सूची में डाल दिया गया है।

सरकारी लाभ दिलाना

*1022. श्री राम प्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत मांझा एवं बरौली प्रखंड में दियारा क्षेत्र की हजारों एकड़ भूमि असर्वेक्षित है, जिसके कारण दशकों से कृषि कार्य में वहां संलग्न रहने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं तथा किसान सम्मान योजना, फसल बीमा योजना, कृषि उपकरणों की खरीद इत्यादि पर अनुदान आदि कोई लाभ नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अन्य क्षेत्र के किसानों की भाँति मांझा एवं बरौली प्रखंड के असर्वेक्षित भू-धारी किसानों को सरकारी लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*1023. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत भू-जल संरक्षण योजना के तहत जलछाजन का कार्य किया जा रहा है जबकि नीमचक बथानी प्रखंड नक्सल एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद भी अभीतक जलछाजन योजना को उक्त प्रखंड में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

गोदाम निर्माण कराना

*1024. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरुआ)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूरे गया जिला में धान खरीदारी हेतु पूर्व से बने मात्र 800 लॉट की क्षमता वाला गोदाम निर्मित है, जबकि पूरे गया जिला में 5700 की खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार लक्ष्य के मुताबिक और गोदाम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*1025. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि ''बिहार राज्य फसल सहायता योजना'' के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में मधुबनी जिलांतर्गत झंझारपुर प्रखंड के रैयाम पूर्वी पंचायत के 576 आवेदक में से 350 आवेदकों की राशि का भुगतान किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शेष बचे आवेदकों के राशि का भुगतान कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1026. श्री राहुल तिवारी (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के शाहपुर नगर पंचायत के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा करोड़ों रुपये की खाद बनाने वाली मशीन, शौचालय का टंकी साफ करने वाला मशीन, ट्रैक्टर एवं अन्य उपकरणों की खरीद लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सभी मशीन रख-रखाव के अभाव में खराब हो गई है तथा खरीदे गये उपकरण के खरीद में अनियमितता बरती गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन कराना

*1027. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड मुख्यालय में स्थित पशु अस्पताल में पशु चिकित्सक नहीं है एवं कम्पाउंडर के भरोसे अस्पताल चल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अस्पताल में पशु चिकित्सक का पदस्थापना कबतक कराना चाहती है, नहीं, क्यों ?

नगर परिषद् में शामिल करना

*1028. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के नवादा पंचायत के नवादा गाँव के आधे आबादी को नगर परिषद् बेनीपुर में शामिल कर लिया गया है तथा शेष बचे आबादी को नवादा पंचायत एवं रमौली पंचायत में शामिल कर लिया गया है, जिसके कारण उक्त गाँव के लोगों को सरकारी लाभ लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नवादा गाँव के पूरी आबादी को नगर परिषद्, बेनीपुर में शामिल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

*1029. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जलालगढ़ अंचल के सर्किल इंस्पेक्टर का पद विगत् 5 वर्षों से रिक्त है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचल में सर्किल इंस्पेक्टर का प्रतिनियुक्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण कराना

'च'-*1030. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत हसनपुर वार्ड नं० 5 के बघवा महादलित टोला में 50 घर महादलित बसे हुये हैं जिन्हें 700 मीटर की दूरी पर स्थित मुख्य सड़क तक आने-जाने के लिये सम्पर्क पथ नहीं रहने के कारण निजी जमीन होकर आना-जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार निजी जमीन अधिग्रहण कर सम्पर्क पथ निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'च'-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित ।

सड़क एवं नाला का निर्माण

*1031. डॉ० सी० एन० गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 09 जनवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''कहीं नाला नहीं तो कहीं अतिक्रमण की शिकार है सड़कें'' के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा शहर के वार्ड नं० 4 के ब्रह्मपुर मोहल्ला से अब्दुल क्यूम अंसारी विद्यालय वाले पथ के निचले भाग में सड़क पर अतिक्रमण एवं नाला नहीं रहने के कारण जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है जिससे लोगों को आवागमन करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क को पी० सी० सी० सड़क नाला सहित बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का हस्तान्तरण

*1032. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 26 जून, 2019 की बैठक में शहरी क्षेत्रों में अवस्थित बीस फीट एवं उससे अधिक चौड़ी सड़कों का संधारण ओ० पी० एम० आर० सी० के अंतर्गत पथ निर्माण विभाग द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर, नगर निकाय क्षेत्र में अवस्थित बीस फीट एवं उससे अधिक चौड़ी सड़कों की सूची नगर विकास एवं आवास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग में माह अक्टूबर, 2019 से ही लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमालपुर नगर निकाय क्षेत्र में अवस्थित 20 फीट एवं उससे अधिक चौड़ी सड़कों के उन्नयन एवं रख-रखाव हेतु नगर विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को कबतक हस्तांतरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से मुक्त कराना

*1033. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-213 एकमा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत एकमा बाजार नगर पंचायत में जल-जमाव की समस्या बनी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार एकमा बाजार से कबतक जल-जमाव हटाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से निजात दिलाना

*1034. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर रेलवे वाशिंग पीट से निकलने वाली जहरीला एवं गंदा पानी के जमाव के कारण जयनगर बस्ती एवं आनन्दपुर मोहल्ला की सैकड़ों एकड़ जमीन खेती योग्य नहीं रह गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जल-जमाव के कारण किसानों के फसलों का उत्पादन नहीं होने से उनकी स्थिति दयनीय हो गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थानों के किसानों के जमीन को जल-जमाव से निजात दिलाने के लिये कौन-सी व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*1035. श्री रितलाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर प्रखंड के धनेश्वर नगर बालाजी ITI, हाई टेक अस्पताल के पीछे अशोक कुमार सिंह के घर से संजय यादव के खटाल तक कच्ची सड़क है तथा नाला नहीं रहने के कारण पानी का बहाव नहीं हो पाता है, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण एवं जल निकासी हेतु नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*1036. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत बाजपट्टी, नानपुर, बोखड़ा अंचल में 5 वर्षों से सर्किल इन्सपेक्टर का पद रिक्त रहने के कारण वहाँ आम जनता को कार्य कराने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचल में सर्किल इन्सपेक्टर की कबतक पदस्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । समाहर्ता, सीतामढ़ी के प्रतिवेदनानुसार बाजपट्टी, नानपुर, बोखड़ा अंचलों में नियमित सर्किल इन्सपेक्टर का पद पाँच वर्षों से रिक्त है, परन्तु वरीय राजस्व कर्मचारी को सर्किल इन्सपेक्टर का प्रभार देकर दैनिक कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है।

कार्रवाई करना

*1037. श्री भरत बिन्द (क्षेत्र संख्या-205 भभुआ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियाँ अंचल के पंचायत सिधपा के ग्राम धनजैया से ग्राम-सिधपा एवं करहरवा जाने वाली तीन मुहानी मोड़ से दक्षिण 500 फीट दूरी तक सड़क के पूर्वी तरफ के जमीन को अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाने एवं अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*1038. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के यशोदा देवी पथ, लोहियानगर कंकड़बाग स्थित सार्वजनिक पार्क प्लाट U-469 के एक हिस्से को बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना द्वारा असंवैधानिक तरीके से बेच दिया गया है जबकि उक्त पार्क को आम जनता के उपयोगार्थ विकसित करने की विभाग की कार्य योजना थी, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*1039. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के अंचल बाजपट्टी में 19 स्वीकृत राजस्व कर्मचारी में मात्र 2 राजस्व कर्मचारी, अंचल नानपुर में 17 स्वीकृत राजस्व कर्मचारी में मात्र 2 राजस्व कर्मचारी एवं अंचल बोखरा में 11 स्वीकृत राजस्व कर्मचारी में मात्र 1 राजस्व कर्मचारी कार्यरत है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अंचलों में स्वीकृत पद के अनुरूप राजस्व कर्मचारी की पदस्थापन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । समाहर्ता, सीतामढ़ी के प्रतिवेदनानुसार सीतामढ़ी जिला के अन्तर्गत अंचल बाजपट्टी में 3 राजस्व कर्मचारी, अंचल नानपुर में 2 राजस्व कर्मचारी एवं अंचल बोखड़ा में 2 राजस्व कर्मचारी कार्यरत है।

राजस्व कर्मचारी के 4353 पद पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रारम्भिक स्तर का परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 को सम्पन्न किया गया है।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग से सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची प्राप्त होते ही नियमित नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी ।

जमीन उपलब्ध कराना

*1040. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत अंचल आलमनगर के अधीन जीरो माईल सुरहान पहैल रतवाड़ा कमसियां पी०डब्लू०डी० पथ पर ग्राम पंचायत रतवाड़ा में काफी संख्या में भूमिहीन गरीब व्यक्ति बसे हुये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस पथ के बारवें से पंद्रहवें कि०मी० पथ की मरम्मती का टेंडर विभाग द्वारा निकाला गया है जिस कारण ये गरीब लोग विस्थापित हो जायेंगे ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ पर बसे भूमिहीनों को अभियान बसेरा के तहत जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) समाहर्ता, मधेपुरा के पत्रांक 3-01/रा०, दिनांक 19 फरवरी, 2021 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा उक्त पथ का नापी अंचल से करायी गयी जिसमें लोगों की विस्थापित होने की संभावना है। जाँचोपरान्त ऐसे विस्थापित परिवारों का नाम अभियान बसेरा के प्रतिक्षा सूची में दर्ज कर जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जा रही है।

(3) सुयोग्य भूमि उपलब्ध होते ही सभी विस्थापितों को अभियान बसेरा के तहत भूमि उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

पार्क का निर्माण

*1041. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत गुलाबबाग मेला ग्राउण्ड में पार्क निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अमृत योजना से 2,00,80,896 राशि की स्वीकृति दो वर्ष पूर्व दी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि गुलाबबाग मेला ग्राउण्ड को सैरात सूची से बाहर नहीं निकाले जाने के कारण गुलाबबाग मेला ग्राउण्ड में पार्क निर्माण कार्य अबतक लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गुलाबबाग मेला ग्राउण्ड को सैरात सूची से बाहर निकाल कर उक्त ग्राउण्ड में उक्त स्वीकृति राशि से पार्क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*1042. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''पी0डी0एस0 मशीनों ने पकड़े फर्जी राशन कार्ड'' के आलोक में क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा 16 लाख 14 हजार राशन कार्ड को फर्जी मानकर उसे रद्द कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 56 हजार जन-वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0) दुकानों में पॉस मशीन नहीं लगाने से पहले फर्जी राशन कार्ड 16 लाख 14 हजार लाभुकों के नाम पर अनाज उठाकर खुले बाजार में दुकानदारों द्वारा बेच दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जन-वितरण प्रणाली की दुकानों में पॉस मशीन लगाने से पहले कालाबाजारी की गई अनाज की जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । राज्य सरकार द्वारा 14.44 लाख राशन कार्डों को लक्षित जन-वितरण प्रणाली से अलग कर दिया गया है और इन राशन कार्डों के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा नोटिस निर्गत कर कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है ।

(2) अस्वीकारात्मक । राज्य में सम्प्रति 46600 राशन दुकानदार कार्यरत हैं । सभी दुकानों में पॉस यंत्र के माध्यम से आधार सत्यापन के पश्चात् ही अनिवार्यत: राशन वितरित किया जाता है ।

(3) प्रश्न नहीं उठता है ।

सड़क का निर्माण

*1043. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत दाउदनगर नगर परिषद् स्थित मौलाबाग मोड़ से भाया पासवान चौक होते सोन तराई तक जानेवाली सड़क जर्जर रहने से आमजन को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में इस सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड स्थापित करना

*1044. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी नगर क्षेत्र परिषद् अन्तर्गत अवस्थित बस स्टैंड घनी आबादी के बीच में है जिसके कारण वह अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के रूप में विकसित नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार घनी आबादी के बीच से बस स्टैंड को हटाकर मधुबनी शहर के निधि चौक के पास स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियोजित करना

*1045. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 11458/2010 में पारित आदेश के आलोक में सर्वे निदेशालय बिहार, पटना के पत्रांक 1785, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 द्वारा अमीन के पद पर होने वाले संविदा नियोजन में उजरत भोगी अमीनों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है और इस आधार पर वर्ष 2013 में उजरत भोगी अमीनों को संविदा पर नियोजित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2001 के आलोक में विशेष सर्वेक्षण अमीन 4950 एवं 550 अमीन का सर्वे निदेशालय संविदा पर नियोजन किया गया है जिससे उजरत भोगी दक्ष एवं अनुभवी अमीनों को प्राथमिकता नहीं दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं अमीन के पद प्राथमिकता के आधार पर उजरत भोगी अमीन संविदा पर नियोजित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1046. श्री शशिभूषण हजारी (क्षेत्र संख्या-78 कुशेश्वर स्थान)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लोकही अंचल थाना अंधरामठ के ग्राम-राजाराम पट्टी में खाता नम्बर-58, पुराना 165 (नया) एवं खेसरा नम्बर 58 (पुराना), 79 (नया) को ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय, पटना के केस संख्या 15518/2018, दिनांक 7 अगस्त, 2018 को पारित आदेश के उपरान्त भी अंचलाधिकारी द्वारा उक्त भूमि को अभीतक अतिक्रमणमुक्त नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जमीन का कबतक अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ दोषी पदाधिकारी पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फसल क्षति का मुआवजा

*1047. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत प्रखंड चौसा के अधीन ग्राम पंचायत फुलौत पूर्वी एवं अरजपुर पश्चिम में वर्ष 2020 में आयी बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर किसानों की फसल यथा धान, सब्जी, पपीता, केला, मड़ई, मक्का नष्ट हो गयी, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में फसल क्षति का मुआवजा प्रभावित किसानों को कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ई-किसान भवन बनाना

*1048. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर प्रखंड में किसानों के लिये ई-किसान भवन नहीं रहने के चलते किसानों एवं पदाधिकारियों को कृषि संबंधित कार्य में कठिनाई उत्पन्न होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में ई-किसान भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड बनवाना

*1049. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत बैदा पंचायत की सुकेशा खातुन, पति-अजहर अली, नसीमा खातुन, पति-वहाव, लालबानू, पति-अब्दुल सलाम तथा हजारों लोगों ने राशन कार्ड बनवाने के लिये अपने सारे कागजात अमदाबाद प्रखंड में जमा करा दिया है, लेकिन उनके आवेदन को ऑनलाइन नहीं भेजे जाने के कारण वे सभी राशन कार्ड से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में राशन कार्ड बनवाने के लिये ऑफलाइन कागजात जमा करने वाले लागों का राशन कार्ड बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । प्रस्तुत प्रश्न के आलोक में जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 254, दिनांक 11 फरवरी, 2021 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है । उक्त प्रतिवेदन में अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी के पत्रांक 63, दिनांक 10 फरवरी, 2021 के आलोक में प्रतिवेदित किया गया है कि सुकेश खातुन, पति-अजहर अली राशन कार्ड संख्या 10212011572256840000111 नसीमा खातुन, पति-वहाव, राशन कार्ड संख्या 10212011572256840000110, लालबानू, पति-अब्दुल सलाम, राशन कार्ड संख्या 10212011572256840000109 तीनों राशन कार्ड पूर्व में ही बन चुका है तथा उक्त सभी कार्डधारी द्वारा राशन का उठाव किया जा रहा है ।

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत राशन हेतु आवेदन करने वाले योग्य लाभार्थियों को नियमानुसार राशन निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है ।

गोदाम निर्माण कराना

*1050. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड में गोदाम के अभाव में अनाज भंडारण में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वारिसलीगंज में एक बड़ा गोदाम निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से मुक्त कराना

*1051. सुश्री श्रेयसी सिंह (क्षेत्र संख्या-241 जमुई)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई नगर परिषद् क्षेत्र में ड्रैनेज सिस्टम के अभाव के कारण जल-जमाव होता है तथा बरसात के दिनों में पूरा नगर परिषद् क्षेत्र का नाला जाम हो जाता है जिसके नागरिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार समेकित नाला बनाकर जमुई नगर परिषद् क्षेत्र को जल-जमाव से मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मखाना की खेती कराना

*1052. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत प्रखंड मधेपुर एवं लखनौर प्रखंड के गड़हरा चौर, बलिया, इसराईन चौर, कछुवी चौर एवं दलिहारा चौर में पानी जमा रहने से हजारों एकड़ जमीन फसल से वंचित है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त चौरों में वैकल्पिक खेती, मखाना की खेती कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आँकड़ा प्रस्तुत करना

'छ'-*1053. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के जिला पदाधिकारी कार्यालय के ज्ञापांक-xvii-13.2020, दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 द्वारा उक्त जिला में धान उत्पादन 731600 मिट्रिक टन है, से संबन्धित आँकड़ा सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भेजा गया है, जबकि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार द्वारा उक्त जिला का धान उत्पादन 383000 मिट्रिक टन बताया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त जिला में धान के उत्पादन का सही आँकड़ा प्रस्तुत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना पूर्ण कराना

*1054. श्री वीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दिनांक 21 नवम्बर, 2011 को संपन्न गया नगर निगम बोर्ड की बैठक की कार्यवाही सं0-07 के क्रमांक 05/(1) द्वारा प्रस्ताव पारित कर मानपुर रेलवे लाईन गोपालगंज रोड से बैजनाथ सहाय लेन, पटवाटोली शिव मंदिर पीएनबी, एटीएम होते हुए यूको बैंक बुनियादीगंज शाखा के पास गया खिजरसराय मुख्य पथ तक पीसीसी पथ एवं नाला का निर्माण हेतु प्राक्कलन नगर विकास विभाग में भेजा गया था लेकिन उक्त कार्य अभीतक नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है ?

नोट--'छ'- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा कृषि विभाग में स्थानान्तरित ।

शवदाह गृह का निर्माण

*1055. श्रीमती विभा देवी (क्षेत्र संख्या-237 नवादा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत नवादा में शवदाह गृह नहीं रहने के गरीब आमलोगों को हिन्दू रीति रिवाज से संस्कार करने में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार नवादा में अत्याधुनिक शवदाह गृह का कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य पूर्ण कराना

*1056. श्री वीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया खिजरसराय पथ से राणा नगर होते हुए जकनपुर मुख्य पथ एवं नाली निर्माण का जीर्णोद्धार कार्य कराने की समाप्ति तिथि 17 अप्रील, 2020 तक थी जो अबतक कार्य अधूरा है एवं मानक के अनुसार कार्य नहीं कराई गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कार्य कबतक पूरा कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*1057. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार अंचल में 27 पंचायत है, जिसमें मात्र तीन राजस्व कर्मचारी एवं एक डाटा इंट्री ऑपरेटर पदस्थापित है, जिसके कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अंचल में स्वीकृत पद के अनुरूप राजस्व कर्मचारियों एवं डाटा इंट्री ऑपरेटर को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*1058. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा अंचल में 20 पंचायत है, जहां राजस्व कर्मचारियों का स्वीकृत पद 20 है जबकि उक्त अंचल में मात्र दो राजस्व कर्मचारी पदस्थापित हैं, जिसके कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अंचल में स्वीकृत पद के अनुरूप राजस्व कर्मचारी को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्वासित करना

*1059. श्री राम रतन सिंह (क्षेत्र संख्या-143 तेघडा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के तेघड़ा अंचल अन्तर्गत निपनिया मधुरापुर गाँव के लगभग 300 परिवार गंगा नदी के कटाव के कारण विगत पन्द्रह-बीस वर्षों से गुप्ता बाँध पर खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पीड़ित परिवारों के लिए भूमि अधिग्रहण कर पुनर्वासित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*1060. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य के सभी नगर निकायों में बहुद्देशीय नगर भवन के रूप में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराने का निर्णय 5 वर्ष पूर्व लिया गया है परंतु गया जिला के नगर पंचायत शेरघाटी में उक्त भवन का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1061. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-142 बेगुसराय)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बरौनी प्रखंड में बभनगामा पंचायत में अवस्थित पशु चिकित्सालय की चहारदीवारी नहीं है जिससे पशु अस्पताल में असामाजिक तत्वों का जमावाड़ा बना रहता है तथा अस्पताल के पदा०/कर्म० को अपने कार्य में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सालय की चहारदीवारी निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सम्मिलित करना

*1062. श्री अवध बिहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सीवान)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत मैरवा अंचल में पचलखी पंचायत के गाँवों को सम्मिलित किया गया है, जबकि मैरवा अंचल से पचलखी पंचायत की दूरी 20 कि० मी० और सदर सीवान अंचल की दूरी 08 कि० मी० है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पचलखी पंचायत की दूरी मैरवा अंचल से 20 कि० मी० होने के कारण आम जनता को भूमि संबंधित कार्य कराने में काफी कठिनाई होती है तथा विकास संबंधित कार्य कराने हेतु उक्त पंचायत के लोगों को सीवान सदर प्रखंड जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पचलखी पंचायत को सीवान सदर अंचल में सम्मिलित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कृषि महाविद्यालय खोलना

*1063. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत मनीगाछी प्रखंड में कृषि विभाग का 30 एकड़ जमीन खाली है तथा पास में 50 एकड़ का तालाब भी है, जो बेकार पड़ा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के किसानों को कृषि क्षेत्र में जागरूक बनाने हेतु अधिक से अधिक कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र/कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र/कृषि महाविद्यालय बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्वासित करना

*1064. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत मैरवा नगर पंचायत वार्ड नं० 03 में ग्राम नौका टोला में जिला परिषद् की जमीन पर सौ वर्ष से भी अधिक समय से दलित भूमिहीन परिवार बसे हुये है जिन्हें बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था किये विगत 5 वर्ष पहले उजाड़ दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमिहीन परिवारों को आवास भूमि व प्रधानमंत्री आवास प्रदान कर उन्हें पुनर्वासित करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित कराना

*1065. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव (क्षेत्र संख्या-90 मीनापुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मीनापुर प्रखंड में हल्का कर्मचारी के 28 पद स्वीकृत है, परंतु 03 हल्का कर्मचारी ही कार्यरत है, जिससे राजस्व की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में स्वीकृत पद के अनुरूप हल्का कर्मचारी पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्ट्रीट लाईट लगाना

*1066. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत एकमा बाजार नगर पंचायत में स्ट्रीट लाईट नहीं रहने से वहां के व्यापारियों के साथ-साथ आमजनों को रात्रि में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बाजार में सड़क के किनारे पोलों पर स्ट्रीट लाईट कबतक लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*1067. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत मैरवा नगर पंचायत में मैरवा बाजार का नाला जाम होने के चलते बड़गांव, धरबी, धापर, मोती, छावर आदि गाँवों सहित नगर पंचायत क्षेत्र में जल-जमाव की स्थिति रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जल निकासी हेतु बड़े नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी निकासी कराना

*1068. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी नगर परिषद् के पुरानी बाजार से संगत पर मुसहरी, गंगाचक मलिकाना, यमुना स्मारक उच्च विद्यालय, श्री कृष्णपुरी होते हुये एस० पी० एम० रोड से आगे गुरूवलचक तक पईन का अतिक्रमण हो जाने से पूरा नगर परिषद् मसौढ़ी का इलाका जलमग्न रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर परिषद् मसौढ़ी के पईन का पानी निकासी कबतक, कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*1069. श्री अवध बिहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सीवान)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान नगर परिषद् में जिला पदाधिकारी के आवास से शिवव्रत साह के मंदिर तक दाहा नदी के दोनों किनारे पार्क निर्माण हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर पार्क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*1070. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर शहर में सुबह एवं शाम टहलने-घुमने शारीरिक व्यायाम करने एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु पार्क का सौन्दर्यीकरण नहीं किया गया है, जबकि उक्त शहर की आबादी 40,000 है तथा पार्क निर्माण हेतु गया रोड में जमीन भी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार इस्लामपुर शहर में पार्क का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का कार्यान्वयन कराना

*1071. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-193 बड़हरा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा प्रखंड के मौजमपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, जिसे विस्तारित करते हुये नेकनाम टोला में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना 2004 में स्वीकृत हुयी है जिससे 65 गांवों को शुद्ध जलापूर्ति कराने की योजना थी, परंतु अभीतक यह योजना कार्यान्वित नहीं हो पायी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नेकनाम टोला की स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पथ का चौड़ीकरण एवं जीर्णोद्धार

*1072. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय) --क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बेगूसराय प्रखंड अन्तर्गत तेलिया पोखर चौक से रतनपुर होते हुये हेमरा चौक तक जानेवाली 3 कि०मी० लंबी सड़क जर्जर है, जिससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी एवं हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का चौड़ीकरण एवं जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दिशा-निर्देश देना

*1073. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा बंदोबस्त कार्यालय में दरभंगा प्रमंडल के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम तथा गैर-अंतिम खतियान, खेसरा पंजी आदि भू-अभिलेख सुरक्षित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सितम्बर, 2019 से पूर्व रैयतों को विहित प्रक्रिया से सभी प्रकार के भू-अभिलेखों का नकल दिया जाता था, परन्तु सितम्बर, 2019 के बाद से इसे बन्द कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त सभी प्रकार के भू-अभिलेखों का नकल उपलब्ध कराने हेतु दिशा-निर्देश देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*1074. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड नगर परिषद् में रानीसती चौक से महावीर चौक के कोसीधार तक सड़क के दोनों तरफ नाला नहीं होने के कारण घर एवं बरसात का पानी सड़क पर जमा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर सड़क के दोनों तरफ बड़ा नाला का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रैयतों को दखल दिलाना

*1075. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमरांव)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के चौगाई प्रखंड के मौजा मसहरियाँ थाना संख्या 319 का चक सम्पुष्ट है जिसके कारण एक चौथाई भाग पर ही रैयत को दखल दहानी दी गयी है तथा शेष रैयत सर्वे, खतियान एवं नक्शा के अनुसार खेती कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार शेष रैयतों को कबतक दखल दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*1076. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम, शहर में बदन सिंह के घर से लेकर सूरज चौधरी के घर होते हुये आरा मशीन तक रोड एवं नाली नहीं है, जिसकी लम्बाई 1.5 कि०मी० है, यदि हाँ, तो सरकार नाला सहित सड़क का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड बनवाना

*1077. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट एवं पंचदेवरी प्रखण्ड कार्यालयों में आर०टी०पी०एस० काउंटरों को बंद किये जाने के कारण गरीबों का राशन कार्ड हेतु आवेदन नहीं लिया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड मुख्यालय में शेष बचे लाभुकों के लिये आर०टी०पी०एस० काउंटर खोलकर राशन कार्ड बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 04 मार्च, 2021 (ई०)।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० - 116 (एल०ए०), 2020-21 डी०टी०पी० -550